

an>

title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/members.

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

...(Interruptions)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते): महोदया, मैं श्री श्रीपाद रेसो नाईक की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) ओषधि और पूसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत ओषधि और

पूसाधन सामग्री (5वां संशोधन) नियम, 2016, जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के

राजपत्र में अधिसूचना संख्या 789(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा

अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5402/16/16)

...(Interruptions)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. L.T. 5403/16/16)

(ख) (एक) ओरिएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओरिएटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(Placed in Library, See No. L.T. 5404/16/16)

(2) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक - एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकक प्रतिवेदन और सार) विनियम, 2016 जो 9 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रग./10/122/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिवेश) विनियम, 2016 जो 11 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रग./22/134/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता) विनियम, 2015 जो 3 नवम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रग./18/108/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और शाखा कार्यलयों का प्रचालन) विनियम, 2015 जो 23 अक्टूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रग./17/107/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड से भिन्न विदेशी पुनः बीमाकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण और शाखा कार्यलयों का प्रचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 जो 4 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रग./1/113/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5405/16/16)

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) सा.का.नि. 835(अ) जो 30 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) सा.का.नि. 850(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 857(अ) जो 6 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) सा.का.नि. 902(अ) जो 22 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा राज्य सरकार औद्योगिक विकास निगम/उपक्रम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक प्लाट का दीर्घकालिक (30 वर्ष या उससे अधिक का) पट्टा देकर उस सीमा तक सेवा कर अथवा एक बारगी तत्काल राशि (प्रीमियम, सलामी, लागत, मूल्य, विकास प्रभार अथवा किसी अन्य नाम की संज्ञा से) ऐसे पट्टे के लिए संदेय सेवा कर से छूट दी गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (पांच) सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 923(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(Placed in Library, See No. L.T. 5406/16/16)

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 जो 19 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दो) प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान स्कीम नियम, 2016 जो 26 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1903(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (तीन) आय घोषणा स्कीम (संशोधन) नियम, 2016 जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2477(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (चार) का.आ. 2478 (अ) जो 20 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्यों के जिले को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) आय घोषणा स्कीम (दूसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 12 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2705(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (छह) आय घोषणा स्कीम (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2728(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (सात) आयकर (25वां संशोधन) नियम, 2016 जो 5 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3150(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (आठ) आयकर (24वां संशोधन) नियम, 2016 जो 4 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3145(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (नौ) का.आ. 3078(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना का.आ. 892(अ) रद्द की गई तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (दस) का.आ. 3079(अ) जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जो निर्धारण वर्ष 2017-2018 और परवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए आय की गणना और प्रकटीकरण के लिए नये मानक के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (ग्यारह) आयकर (23वां संशोधन) नियम, 2016 जो 29 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3080(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
- (बारह) का.आ. 3075 (अ) जो 28 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के जिलों को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तेरह) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2016 जो 2 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1949(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बतीस) सा.का.नि. 948(अ) जो 3 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 94/96-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5408/16/16)

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर तुटि (संशोधन) नियम, 2016 जो 31 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1019(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 1018(अ) जो 31 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो निर्यातित वस्तुओं की विनिर्माण में इनपुट सेवा के रूप में प्रयुक्त इनपुट या कर योग्य सेवा के रूप में प्रयुक्त आयातित सामग्री अथवा उत्पाद योग्य सामग्री पर प्रभारित सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर, जैसा भी मामला हो, की औसत छूट हैं; तुटि की सभी औद्योगिक दरों में संशोधन के बारे में हैं, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 996(अ) जो 13 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं. 110/2015-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5409/16/16)

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा.का.नि. 935(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66बी के अधीन शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऐसी संस्थाओं के विद्यार्थियों, शिक्षक और स्टाफ को 1.4.2013 से 10.7.2014 की अवधि के लिए परिवहन सेवाओं पर संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 914(अ) जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों द्वारा 1.7.2012 से 20.10.2015 तक प्रदत्त योग्य उन्नयन के माध्यम से परिवहन सेवा पर संदेय सेवा कर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 823(अ) जो 26 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 852(अ) जो 2 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 874(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 12/2012-सी.सु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5410/16/16)

(2) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 की उपधारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रती (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) सा.का.नि. 760(अ) जो 2 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पोलीटेस फल्ट्रो इथलिन (पीटीएफई) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अर्थात् 23 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है।

(दो) सा.का.नि. 762(अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सिलाई मशीन की सुई के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अर्थात् 21 जून, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (तीन) सा.का.नि. 763(अ) जो 4 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य और यूईई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित ओपल ग्लास वेयर के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 8 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 769(अ) जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीआईएफ आधार पर निर्यात मूल्य जिसपर अथवा जिसके ऊपर सुरक्षीपाय शुल्क 'हॉट रॉल्ट फ्लैट प्रोडक्ट्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील इन कॉयल्स आफ विथ आफ 600 एमएम और मोर' प्रयोज्य नहीं होगा, विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) सा.का.नि. 773(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित सोडियम नाईट्रेट के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 16 अगस्त, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) सा.का.नि. 774(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कतिपय स्वर कैमिकल अर्थात् डाईबैजोथियाजोल डायसल्फाइड (एमबीटीएस) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 19 अक्टूबर, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) सा.का.नि. 775(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मैसर्स हैनिन टियाफू वार्प निटिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य और मैसर्स मन्ना, कोरिया जनवादी गणराज्य द्वारा उत्पादित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म का भारत के आयात जिसका उसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं के अनुसरण में अंतिम मूल्यांकन किया गया है, के अंतिम मूल्यांकन का अंतिम रूप विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 776(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपादन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पीवीसी फ्लैक्स फिल्म पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 777(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही प्रतिपादन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य और इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित बम्बू फाइबर को छोड़कर विश्कोस स्टेपल फाइबर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क, अध्यारोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 778(अ) जो 8 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में द्वारा की जा रही प्रतिपादन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया जनवादी गणराज्य, रूस, ब्राजील और इंडोनेशिया में उद्भूत अथवा वहां से 'हॉट रॉल्ट फ्लैट प्रोडक्ट्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील पर छह माह की अवधि के लिए विहित रूप में निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 799(अ) जो 17 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के पदाभिहित प्राधिकारी के प्रारंभिक निष्कर्षों के अनुसरण में द्वारा की जा रही प्रतिपादन अन्वेषण के अंतिम निष्कर्ष के अनुसरण में चीन, जापान, कोरिया और जनवादी गणराज्य और यूक्रेन, में उद्भूत अथवा वहां से 'कोल्ड रॉल्ट फ्लैट प्रोडक्ट्स आफ नान एलाय एंड अदर अलाय स्टील पर छह माह की अवधि के लिए विहित रूप में निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क, लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 806(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीनी ताइपेई में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित कार्बिक सोडा के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 22 अगस्त 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। थाईलैंड और नार्वे में उद्भूत अथवा से निर्यातित कार्बिक सोडा के आयात पर लगाया गया प्रतिपादन शुल्क को नामित प्राधिकारी की सिफारिश पर व्यपगत होने की अनुमति दी गई है।

- (तेरह) सा.का.नि. 807(अ) जो 19 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित आई-फिनाइल-3 मिथाइल-5 पइराजोनोल के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 23 अगस्त 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 846(अ) जो 1 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के शीर्ष 7091 के अंतर्गत चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत और वहां से निर्यातित "ग्लास और तत्संबंधी वस्तुएं" पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपादन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पन्द्रह) सा.का.नि. 864(अ) जो 7 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपादन एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा की जा रही सनसेट समीक्षा जांच का परिणाम आने तक चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित पारा नाइट्रोनिट्रिन के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी एक साल की ओर अवधि अर्थात् 8 सितम्बर, 2017 तक जिसमें वह दिन भी शामिल है, बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सोलह) सा.का.नि. 960(अ) जो 6 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित विनिर्दिष्ट नैसै वोविन (ड्रक एंड लूप वेल्फो टेप्स) के आयात पर अध्यारोपित प्रतिपादन शुल्क की लेवी पांच साल की अवधि तक लगाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5411/16/16)

(9) 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उनपर लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन :-

- i. आंध्र ग्रामीण विकास बैंक वारंगल (Placed in Library, See No. L.T. 5412/16/16)
- ii. आंध्र पूनति बैंक, कड़प्पा (Placed in Library, See No. L.T. 5413/16/16)
- iii. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, नहरलागुन
- iv. असम ग्रामीण विकास बैंक, गुवाहाटी (Placed in Library, See No. L.T. 5415/16/16)
- v. बंगिया ग्रामीण विकास बैंक, मुर्शिदाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5416/16/16)
- vi. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अजमेर
- vii. बडोदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, रायबरेली (Placed in Library, See No. L.T. 5418/16/16)
- viii. बिहार ग्रामीण बैंक, बेगूसराय (Placed in Library, See No. L.T. 5419/16/16)
- ix. सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, छिंदवाड़ा (Placed in Library, See No. L.T. 5420/16/16)
- x. चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, गुंटूर (Placed in Library, See No. L.T. 5421/16/16)
- xi. देना गुजरात ग्रामीण बैंक, गांधीनगर (Placed in Library, See No. L.T. 5422/16/16)
- xii. ग्रामीण बैंक आफ आर्यावत, तखनऊ (Placed in Library, See No. L.T. 5423/16/16)
- xiii. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मंडी (Placed in Library, See No. L.T. 5424/16/16)
- xiv. झारखण्ड ग्रामीण बैंक, रांची (Placed in Library, See No. L.T. 5425/16/16)
- xv. जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, जम्मू (Placed in Library, See No. L.T. 5426/16/16)
- xvi. कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, धारवाड़ (Placed in Library, See No. L.T. 5427/16/16)
- xvii. कांशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, वाराणसी (Placed in Library, See No. L.T. 5428/16/16)
- xviii. कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर (Placed in Library, See No. L.T. 5429/16/16)
- xix. केरल ग्रामीण बैंक, मल्लापूरम् (Placed in Library, See No. L.T. 5430/16/16)
- xx. लांगपी देहांगी ग्रामीण बैंक, डिफू (Placed in Library, See No. L.T. 5431/16/16)
- xxi. मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सागर (Placed in Library, See No. L.T. 5432/16/16)
- xxii. महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, औरंगाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5433/16/16)
- xxiii. मालवा ग्रामीण बैंक, संगरूर (Placed in Library, See No. L.T. 5434/16/16)
- xxiv. मणिपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल (Placed in Library, See No. L.T. 5435/16/16)
- xxv. मिजोरम ग्रामीण बैंक, आईजोल (Placed in Library, See No. L.T. 5436/16/16)
- xxvi. नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा (Placed in Library, See No. L.T. 5437/16/16)
- xxvii. नर्मदा डलुआ ग्रामीण बैंक, इंदौर (Placed in Library, See No. L.T. 5438/16/16)
- xxviii. उड़ीसा ग्राम्य बैंक, भुवनेश्वर (Placed in Library, See No. L.T. 5439/16/16)
- xxix. पलवन ग्राम बैंक, सेलम (Placed in Library, See No. L.T. 5440/16/16)
- xxx. पांडिचान ग्राम बैंक, विरुधुनगर (Placed in Library, See No. L.T. 5441/16/16)
- xxxi. पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, हावडा (Placed in Library, See No. L.T. 5442/16/16)
- xxxii. पूनति कृष्णा ग्रामीण बैंक, बेलाशी (Placed in Library, See No. L.T. 5443/16/16)
- xxxiii. पृथमा बैंक, मुयदाबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5444/16/16)
- xxxiv. पुडुचैर् भारतीय ग्राम बैंक, पुडुचेरी (Placed in Library, See No. L.T. 5445/16/16)
- xxxv. पूर्वांचल बैंक, गोरखपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5446/16/16)

(Placed in Library, See No. L.T. 5414/16/16)

(Placed in Library, See No. L.T. 5417/16/16)

- xxxvi. पंजाब ग्रामीण बैंक, कपूरथला (Placed in Library, See No. L.T. 5447/16/16)
- xxxvii. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक, जोधपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5448/16/16)
- xxxviii. सप्तगिरि ग्रामीण बैंक, चित्तूर (Placed in Library, See No. L.T. 5449/16/16)
- xxxix. सर्व यू.पी. ग्रामीण बैंक, मेरठ (Placed in Library, See No. L.T. 5450/16/16)
- xl. सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, रोहतक (Placed in Library, See No. L.T. 5451/16/16)
- xli. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजकोट (Placed in Library, See No. L.T. 5452/16/16)
- xlii. सतलज ग्रामीण बैंक, भाटिंडा (Placed in Library, See No. L.T. 5453/16/16)
- xliii. तेलंगाना ग्रामीण बैंक, हैदराबाद (Placed in Library, See No. L.T. 5454/16/16)
- xliv. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, अगरतला (Placed in Library, See No. L.T. 5455/16/16)
- xlv. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार (Placed in Library, See No. L.T. 5456/16/16)
- xlvi. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5457/16/16)
- xlvii. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, देहरादून (Placed in Library, See No. L.T. 5458/16/16)
- xlviii. वनांचल ग्रामीण बैंक, देहरादून (Placed in Library, See No. L.T. 5459/16/16)
- xlix. विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक, नागपुर (Placed in Library, See No. L.T. 5460/16/16)

(10) भारतीय महिला बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5461/16/16)

(11) भारतीय स्टेट बैंक (अनुबंधी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित, स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण और कार्यकलाप के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5462/16/16)

(12) धन शोधन निर्वारण अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत धन शोधन निर्वारण (जब्त संपत्ति की बहाली) नियम, 2016, जो 26 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(Placed in Library, See No. L.T. 5463/16/16)

*m03

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं श्री अर्जुन राम मेघवाल जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (वेयरपरसन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की निर्वन्धन और शर्तों) नियम, 2015 जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण (वेयरपरसन और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की निर्वन्धन और शर्तों) नियम, 2015 जो 21 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 729(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5464/16/16)

(3) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) प्रतिभूति संविदा (विनियम) (स्टॉक एक्सचेंज और निकासी निगम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/011 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाओं को सूचीबद्ध करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/008 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/009 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाही का निस्तारण) (संशोधन) विनियम, 2016, जो 29 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडीएनआरओ/जीएन/2016-17/010 में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5465/16/16)

(4) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (13वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 9 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम

- (11वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 24 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1002(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (12वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 24 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1003(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पत्ति संविदा) (संशोधन) विनियम, 2016 जो 25 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1005(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम (10वां संशोधन) विनियम, 2016 जो 27 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1015(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(Placed in Library, See No. L.T. 5466/16/16)

(5) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 869(अ) जो 8 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1 अप्रैल, 2016 को जारी अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) का शुद्धीकरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. L.T. 5467/16/16)

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR): Madam, on behalf of Dr. Subhash Ramrao Bhamre, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5468/16/16)

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5469/16/16)

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jawahar Institute of Mountaineering and Winter Sports, Pahalgam, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5470/16/16)

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, Dirang, for the year 2015-2016.

(Placed in Library, See No. L.T. 5471/16/16)

(5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the BEML

Limited, Bangalore, for the year 2015-2016.

- (ii) Annual Report of the BEML Limited, Bangalore, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. L.T. 5472/16/16)

(6) A copy of the Memorandum of Understanding (Hindi and English versions) between the BEML Limited and the Department of Defence Production, Ministry of Defence, for the year 2016-2017.

(Placed in Library See No. L.T. 5473/16/16)

...(Interruptions)